

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश
"ऑडिट भवन", टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010

सं.प्र.म.ले.(ले.प.-II)/प्रशा-II/RTIPrayagraj/177

दिनांक: 12/11/2025

कार्यालय आदेश

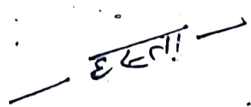
क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, प्रयागराज द्वारा नवम्बर 2025 में निम्नलिखित विषयों पर **On-site (आफ-लाइन)** प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु नामित किया गया है;

The Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Prayagraj is being conducting **On-site (Offline)** trainings in November 2025 on the following subjects. The following officers/ officials are nominated by the competent authority for participation in the training programmes mentioned against their names.

क्र. सं.	प्रशिक्षण का विषय	अवधि	स्लॉट की संख्या	नामित अधिकारी का नाम (श्री)
1.	Audit of procurement and Contract Management	17-11-2025 to 21-11-2025	2	1. Utkarsh Singh, AAO (5013183) 2. Ankush Meena , AAO (3231932)
2.	Course on PFMS, IFMS & iBEMS	19-11-2025 to 21-11-2025	1	1. Vijay kumar Maurya, (3232501)
3.	Data Analytics: KNIME & TABLEAU	24-11-2025 to 28-11-2025	6	1. Akhilesh Gupta, AAO (5013003) 2. Brajendra Shrivastava, AAO (5012856) 3. Krishna Kant Chaudhary, AAO (3232292) 4. Ashvinendra, Ar. (3232510) 5. Anshu Nirankari, Ar. (3232543) 6. Ambesh Kumar, Ar. (3232538)

उक्त प्रशिक्षण में नामित अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि प्रशिक्षणार्थी किसी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं कर पाने की स्थिति में हैं, तो वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन को उक्त संबंध में तत्काल सूचित करेंगे।

It is mandatory to participate in the training for the officer/ officials nominated in the above training. In case, the trainee is not in a position to participate in the training due to unavoidable reasons the same will be informed immediately to SAO/Admin before the training starts.

—  —
वरि. उप महालेखाकार/प्रशा.

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ०प्र०, लखनऊ
2. व. उपमहालेखाकार/ प्रशासन एवं ए.एम.जी.-II
3. व. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-III
4. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-IV
5. व०ले०प०अ०/ए.एम.जी.-II/ए.एम.जी.-III/ए.एम.जी.-IV/रिपोर्ट-I/रिपोर्ट-II/रिपोर्ट-III/GD/PC/IT/ITA/Co-ordination को इस निर्देश के साथ कि वे प्रशिक्षणार्थी को सूचित करें कि वे उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित हो।
- ✓ 6. स०ले०प०अ०/आई.टी.सेल, इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश की प्रति, कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. प्रशिक्षण से संबंधित अधिकारी (ई-मेल द्वारा) को इस निर्देश के साथ कि वे प्रशिक्षण के एक दिन पहले ट्रांजिट लेकर अपने कार्यस्थल से (HQ/Field) क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे और प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त उसी शाम/ रात का ट्रांजिट लेकर वापस अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होंगे।
8. समस्त सम्बंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को ई मेल के माध्यम से।
9. नोटिस बोर्ड

वारिफ

व०लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा,